कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2015–16

विज्ञप्ति

क्रमांक/आब/ठेका/2015/ 4240 रायपुर, दिनांक 29-7-15

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, **जिला–जांजगीर–चांपा की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 08 तरौद समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 30.07.2015 से दिनांक 03.08.2015 तक इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।**

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 04.08.2015 समय अपरान्ह 2:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट जांजगीर–चांपा रहेगा।

2/ आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2015/581, रायपुर दिनांक 10.02.2015 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों के छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेब साईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts **में तथा राज्य शासन के वेबसाईट** http://cgstate.gov.in **के** सूचना निर्देशिका एवं **लिंक** http://cgstate.gov.in/tenders में भी किया जा सकता है।

5/ इसके बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते है तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़,

पृष्ठा.क्रमांक / आब / ठेका / 2015 / 4240-A रायपुर, दिनांक 29-7-15

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
5. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
6. श्री अनूप दुबे, सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, बैरन बाजार, रायपुर
7. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
8. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग–बिलासपुर (छ.ग).
10. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–जांजगीर चांपा

29.7.15

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र–1

क्र.	नाम जिला	समुह क्रमांक	नाम दुकान / समूह का नाम	तहसील का नाम	06.08.2015 से 31.3.2016 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2015–16			06.08.2015 से 31.3.2016 के लिए ड्यूटी की राशि वर्ष 2015–16 (रूपयों में)			योग ड्यूटी राशि (रू.में) (कॉलम 9+10+11)	06.08.15 से 31.3.16 के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2015–16 (रूपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु कुल निर्धारित राजस्व (रूपयें में) (कॉलम 12+13)	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1 / 12वां भाग रूपयें में	वार्षिक लायसेंस फीस का 1 / 12वां भाग रूपये में	माह अगस्त, 2015 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि रूपयें में
					दे.म. (प्रू.ली. में)	वि.म. स्प्रिट (प्रू.ली.में)	वि.म. माल्ट (ब.ली. में)	दे.म. (रू.में)	वि.म. स्प्रिट (रू.में)	वि.म. माल्ट (रू.में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	जांजगीर–चांपा	8	तरौद समूह	अकलतरा												
			दे.म.दु. तरौद		92421	0	0	8317890	0	0	8317890	15798638	24116528	1039736	1974830	1974828
			वि.म.दु. तरौद		0	39472	25016	0	4539280	550352	5089632	9956180	15045812	636204	1244522	1244526
			योग :–		92421	39472	25016	8317890	4539280	550352	13407522	25754818	39162340	1675940	3219352	3219354

29.7.15

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर